

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 05/8/24

::आदेशः

जिला एवं सेशन न्यायालय/अपर जिला एवं सेशन न्यायालय/विशिष्ट न्यायालयों में राज्य की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संवर्ग के ऐसे समस्त अभियोजकगण (लोक अभियोजक-एवं-राजकीय अभिभाषकगण/अपर लोक अभियोजक-एवं- राजकीय अभिभाषकगण /विशिष्ट लोक अभियोजकगण) जिनकी सेवा अवधि दिनांक 31.07.24 या इससे पूर्व पूर्ण हो चुकी है और उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति नहीं हुई है, को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से अग्रिम आदेश तक पूर्वानुसार यथावत् समुचित एवं प्रभावी पैरवी करते रहेंगे।

आज्ञा से


३०

(राजेश गुप्ता)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 4 समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
- 5 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 6 संबंधित कोषाधिकारी।
- 7 संबंधित अभियोजक।
- 8 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 9 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 10 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 11 रक्षित पत्रावली।



(राजेश गुप्ता)

शासन सचिव, विधि